Amount spent on Sri Lankan Tamil refugees in India

5698. SHRI S MADHAVAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) how much amount has been spent on the Sri Lankan Tamil refugees living in India upto31st March, 1994: and

(b) the amount of grant received from U. N. Organisation for this purpose upto the 31st March, 1994?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED): (a) From July, 1983 to 31st March, 1994, an amount of Rs. 100.20 crores has been spent for providing relief facilites and accommodation to the Sri Lankan Tamil refugees living in camps in India.

(b) The entire funding for Sri Lankan refugees living in India is provided by the Govt. of India.

राजभाषा का क्रियान्वयन न किए जाने के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण

5699. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजभाषा नीति के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में धीमी प्रगति के लिए मन्त्रालयों, विभागों/उपक्रमों के अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया गया है : और

(ख) यदि हां, तो उस पर किस-किस रूप में कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० पी० एम० सईद) : (क) राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अन्तर्गत प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह राजभाषा सम्बन्धी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करे। इस बारे में बनाये गये वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपाय करना भी उसके उत्तरदायित्व में शामिल है।

(ख) समय-समय पर उपर्युक्त व्यवस्था के अनुपालन की मानिटरिंग राजभाषा विभाग द्वारा, तिमाही प्रगति रिपोर्टों और निरीक्षणों आदि के माध्यम से की जाती है और कमियों को दूर करने के बारे में सम्बन्धित कार्यालयों आदि को आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं।

अयोध्या में पाए गए दुर्लभ अवशेषों की सुरक्षा

5700. **श्री राम जेठमलानी** :

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 दिसम्बर, 1992 को उत्तर प्रदेश में अयोध्या में गिराये गए ढांचे के मलबे में से अनेक मूर्तिकला अवशेष शिला लेख और पूर्ण मूर्तियां पाई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन सभी दुर्लभ पुरातन अवशेषों को अपने अधिकार में लेकर उन्हें स्थायी व सुरक्षित रखने के लिए किसी संग्रहालय में रखा है ;

(ग) यदि हां, तो इन अवशेषों का ब्यौरा क्या है तथा इन्हें किस-किस संग्रहालय में रखा गया है ;

(घ) यदि इन अवशेषों को अपने अधिकार में लेकर इनकी सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए है तो उसके क्या कारण है ; और

(ङ) क्या सरकार इन अवशेषों को अपने अधिकार में लेकर तथा बिना किसी विलम्ब के कुछ सुरक्षित स्थानों पर प्रतिष्ठापित करने का विचार रखती है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण): (क) से (ङ) दिनांक 7 जनवरी,

को अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अधिग्रहण अध्यादेश प्रख्यापित किए जाने के परिणामस्वरूप अध्यादेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र केन्द्र सरकार के अधीन आ गए हैं। अधिगृहीत भूमि में स्थित राम कथा कुंज भवन, में कई पुरातत्वीय वस्तुएं थीं जो 6 दिसम्बर, 1992 को हुई घटनाओं के बाद राम-जन्म भूमि बाबरी मस्जिद परिसर से प्राप्त हुई बताई गई। इन पुरातत्वीय वस्तुओं की सूची संलग्न है। [देखिए परिशिष्ट 170, अनुपत्र संख्या 114] अधिगृहीत की गई, शेष सम्पत्ति सहित, ये वस्तुए केन्द्र सरकार के अधिकार में हैं।

अयोध्या के मामले के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन विशेष उल्लेख से संबंधित कार्यवाहियों के दौरान उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 1993 को पारित एक आदेश के बाद इन पुरातत्वीय वस्तुओं का निरीक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विशेषज्ञों द्वारा किया गया, जिन्होंने बताया है कि भंडारण की मौजूदा परिस्थितियों के अधीन इन अवशेषों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है तथा भंडारण संबंधी परिस्थितियां पर्याप्त हैं। संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन उपरोक्त कार्यवाहियां उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित हैं।

संविधान की आठवीं अनुसूची में "अंगिका" (भाषा) बोली का शामिल किया जाना

5701. **श्री जनार्दन यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वी बिहार के 16 जिलों में "अंगिका" भाषा बोली जा रही है;

(ख) क्या यह सच है कि "अंगिका" भाषा का अपना व्याकरण है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार "अंगिका" भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का विचार रखती है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) से (ग) पिछली दो जनगणनाओं के प्रकाशित आंकड़ों में, बिहार राज्य में संबद्ध भाषाओं के अन्तर्गत विभिन्न ग्रुपों की मातृ-भाषा और भाषाओं में, "अंगिका" बोली का उल्लेख नहीं किया गया है। "अंगिका" को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Grant of citizenship to Pak Hindus

5702. SHRI VIREN J. SHAH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Pak Hindus who came to India from Sialkot in March, 1993 in the wake of the anti-Hindu backlash in Pakistan, are being forced to go back to Pakistan, as reported in the 'Times of India' of December 28, 1993;

(b) if so, what is their number and what are the facts in this regard;

(c) how many of them are willing to go back and how many are not willing to go back;

(d) whether Government have received any request from them for the grant of citizenship, if so, what are the details in this regard;

(e) whether Government propose to grant them citizenship, if not what are the reasons therefor?

(f) what is the number and details of Bangladeshi staying in India illegally as on 23-12-93; and

(g) since when they have been in India and what action Government have taken in the matter?